उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः 618–पारे0अनु0–04 / पाट्राकालि–2023–18 / 14 टी0सी0–। दिनांकः 15 सितम्बर, 2023

कार्यालय ज्ञाप

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या : 33 / 2016–सा–3–784 / दस–2016 / 308 / 97, दिनांक 27 अक्टूबर, 2016 द्वारा राज्य सरकार के सेवानिवृत्त / मृत सरकारी कर्मचारियों की मानसिक / शारीरिक रूप से अक्षम संतान, जो जीविकोपार्जन में समर्थ नहीं है, को विवाहोपरान्त भी पारिवारिक पेंशन अनुमन्य किये जाने हेतु तत्सम्बन्धी व्यवस्था / प्राविधान निर्गत किये गये है। उ0प्र0 शासन के उक्त शासनादेश द्वारा किये गये प्राविधानों को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के आदेश संख्या–1238–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 23–07–पें0एवंआर0 / 2020, दिनांक 21.07.2023 द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों की सेवाओं में यथावत् / सम्पूर्णता में अंगीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश निर्गत किये गये हैं।

2. उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल की दिनांक 25.08.2023 को सम्पन्न 92वीं बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा शासनादेश संख्या : 33 / 2016–सा–3–784 / दस–2016 / 308 / 97, दिनांक 27 अक्टूबर, 2016 की अनुरूपता में निर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के आदेश संख्या–1238–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 23–07–पें0एवंआर0 / 2020, दिनांक 21.07.2023 को उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 में अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तद्नुसार उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड की सेवाओं में उपरोक्त शासनादेश में प्राविधानित तत्सम्बन्धी प्राविधान / दिशा–निर्देश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्या–618(i)–पारे0अनु0–04 / उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 / 2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3- निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन (मु0), लखनऊ के निजी सचिव।
4- समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं स्तर–2), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
7- संयुक्त सचिव (पारेषण–प्रथम), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8- समस्त महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
10- उप सचिव (पारेषण–प्रथम / द्वितीय), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
12- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ को दिनांक 25.08.2023 को सम्पन्न 92वीं बैठक के मद संख्या–92(25) के सन्दर्भ में।
13- अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह इस आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट www.upptcl.org पर शीर्ष प्राथमिकता पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

Satyavrat

उप सचिव (पारेषण–तृतीय)

संख्या-33/2016-सा-3-784/दस-2016/308/97

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 27 अक्टूबर 2016

विषय :- सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों की विकलांग संतान को पारिवारिक पेंशन।

महोदय,

शासनादेश संख्या-1155/दस-2-81 दिनांक 06 अगस्त, 1981 सपठित शासनादेश संख्या-सा-3-1513/दस-97-2/81 (टी0सी0), दिनांक 12 नवम्बर, 1997 द्वारा राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों के मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम अविवाहितं पुत्र/पुत्री को आजीवन पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विकलांग पुत्री के विवाहोपरान्त उसकी पारिवारिक पेंशन बन्द कर दी जायेगी।

2- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/33/2012-पी0एण्ड पी0डब्लू0(ई0) दिनांक 16.01.2013 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि विकलांग संतान को विवाहोपरान्त भी पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी।

3- इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों की मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम संतान, जो जीविकोपार्जन में समर्थ नहीं है, को विवाह के उपरान्त भी पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी।

4- यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी तथा इससे वह प्रकरण भी आच्छादित होंगे जिनमें मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम संतानों को विवाहोपरान्त पारिवारिक पेंशन बन्द की जा चुकी है परन्तु इन आदेशों के तहत पारिवारिक पेंशन का भुगतान तत्काल प्रभाव से अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या-1155/दस-2-81 दिनांक 06 अगस्त, 1981 सपठित शासनादेश संख्या-सा-3-1513/दस-97-2/81

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(टी0सी0) दिनांक 12 नवम्बर, 1997 इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। उपर्युक्त शासनादेशों की शेष व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव ।

<u>संख्या-33/2016-सा-3-784(1)/दस-2016/308/97 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, पेंशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से
नील रतन कुमार
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 1238–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 23–07–पें0एवंआर0 / 2020, दिनांक : 21 जुलाई, 2023

कार्यालय–ज्ञाप

एतद्द्वारा वित्त (सामान्य) अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या : 33 / 2016–सा–3–784 / दस–2016 / 308 / 97, दिनांक 27 अक्टूबर, 2016 द्वारा राज्य सरकार के सेवानिवृत्त / मृत सरकारी कर्मचारियों की मानसिक / शारीरिक रूप से अक्षम संतान, जो जीविकोपार्जन में समर्थ नहीं है, को विवाहोपरान्त भी पारिवारिक पेंशन अनुमन्य किये जाने हेतु तत्सम्बन्धी व्यवस्था / प्राविधान निर्गत किये गये है, को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों की सेवाओं में यथावत् / सम्पूर्णता में अंगीकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या :1238–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 23 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / लखनऊ / आगरा / मेरठ / केस्को–कानपुर।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I / स्तर–II), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), शक्ति भवन, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
11. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को 16 जून, 2023 को सम्पन्न 192वीं बैठक के मद संख्या–192(23) के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,
21/07/23
(शमशाद अहमद)
अपर सचिव (तृतीय)